उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश—226001

सूचना/विज्ञप्ति

मृतक आश्रित आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती—2019(V)

सेवाकाल में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों की आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर सीधी भर्ती की प्रकिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन

संख्याःपीआरपीबी—एक—1—मृ0आ0(18)/2019 दिनांकः 17/10/,2019

1— सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के मृतक आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 2030/6—पु0—1—15—213/2015 दिनांक 18 सितम्बर, 2015 तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्याः 18/ए—1(124)—2013 दिनांक 24 नवम्बर, 2015 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार **आरक्षी नागरिक पुलिस** के कुल 18 पदों पर मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित 18 अभ्यर्थियों (सूची संलग्न) की दक्षता मूल्यांकन परीक्षा दिनांक **24—10—2019** को **रिजर्व पुलिस लाइन्स, लखनऊ** में आयोजित की जायेगी।

2— दक्षता मूल्यांकन परीक्षा के प्रवेश—पत्र बोर्ड की वेबसाइट http:// uppbpb.gov.in पर दिनांक **17—10—2019** से उपलब्ध होंगे जहां से अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर प्राप्त करेंगे। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह प्रवेश पत्र पर अंकित महत्वपूर्ण निर्देशों का भली—भांति अध्ययन कर इसका अनुपालन सुनिश्चित करेगें।इन निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

3— दक्षता मूल्यांकन परीक्षा के अन्तर्गत सभी अभ्यर्थियों से उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली—2015(यथासंशोधित) एवं शासनादेश संख्या—1569/6—पु0—10— 2016—1200 (68)/2016 दिनांक 19—10—2016 एवं बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या—पीआरपीबी—एक—1—मृ0आ0(03)2018, दिनांक 3—5—2018 के प्राविधानों के अनुसार आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर सीधी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया एवं मानकों के अनुरूप शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये पुरूष अभ्यर्थी को 4.8 कि0मी0 की दौड़ 30 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थी को 2.4 कि0मी0 की दौड 19 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करेंगे, वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।

4— संगत नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जायेगी जिसमें जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित चिकित्साधिकारी सदस्य होंगे। यथा आवश्यकता समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किये जायेगें।

5— शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को चयनित करते हुए अन्तिम चयन सूची बनायी जायेगी। चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को इस पद की मृतक आश्रित भर्ती हेतु असफल घोषित किया जायेगा। चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी ।

17/10

अपर सचिव (भर्ती)
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।